

2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजूराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या : 379/2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2022	<p>अपीलार्थी राजूराम विश्नोई निवासी 564, मंगल नगर, गुडा विश्नोइयान, प. स. लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.11.2021 में उसके द्वारा वर्ष 2020-21 में अर्जित की गई स्थाई सम्पतियों की सूची दस्तावेज रूप में प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखंड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (उपखंड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	